न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2017/00039

1. कान्ति बाई पत्नी हीरालाल जाति काछी निवासी पुलिस लाईन कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. श्याणी बाई पत्नी बाबूलाल जाति काछी निवासी साकडदाव तहसील एवं जिला बून्दी।
3. नट्टी बाई पत्नी नन्दकिशोर जाति काछी निवासी गुढानाथावत तहसील एवं जिला बून्दी
4. धापू बाई पत्नी गणेश लाल जाति काछी निवासी खेडारसूलपुर ।
5. भैरूलाल
6. बृजमोहन
7. लोकेश कुमार पिसारान श्री छोटूल लाल जाति काछी निवासीगण ग्राम बोरखेडा कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. सोहन लाल आत्मज रामकिशन जाति काछी निवासी छीपासमाज के मंदिर के सामने खेडा रसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. सुरजां बाई
3. छोटी बाई
4. सुशीला बाई
5. सजना बाई पुत्रियॉ रामकिशनजी जाति काछी निवासीगण खेडारसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
6. भीमराज
7. दिलीप पिसारान श्री मोहनलाल जाति काछी निवासीगण ग्राम खेडारसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
8. संजू बाई पुत्री मोहन लाल पत्नी सीताराम जाति काछी निवासी पंचायत भवन के सामने खेडारसूलपुर ।
9. माया बाई पुत्री मोहन लाल जी पत्नी हंसराज जाति काछी निवासी राजकीय बालिका स्कूल के पास खेडारसूलपुर ।
10. रूकमणी बाई बेवा मोहन लाल जाति काछी निवासी खेडारसूलपुर ।
11. महावीर
12. गुलाब चन्द
13. जगदीश पिसरान श्री रतन लाल जाति काछी निवासीगण ग्राम खेडारसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

14. ज्याना बाई उर्फ जानकी बाई पुत्री रतनलाल पत्नी बाबूलाल जाति काछी निवासी ग्राम शहनावदा इटावा तहसील पीपल्दा ।
15. राजू
16. बाबू पिसरान श्री रामकल्याण जाति काछी निवासीगण पंचायत भवन के सामने खेडा रसूलपुर तहसील लाडपुरा ।
17. कमला बाई पत्नी श्री गोपाल पुत्री श्री रामकल्याण जी काछी निवासी द्वारकाधीश मंदिर के सामने बोरखेडा कोटा तहसील लाडपुरा ।
18. संतोष बाई पुत्री रामकल्याण कुशवाह जाति काछी निवासी कुशवाह समाज क मंदिर के पास खेडा रसूलपुर तहसील लाडपुरा ।
19. चन्द्रकला बाई पुत्री रामकल्याण जाति काछी निवासी पंचायत भवन के सामने खेडा रसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
20. सुगना बाई पुत्री रामकल्याण जी जाति काछी निवासी पंचायत भवन के सामने खेडा रसूलपुर ।
21. कैलाश बाई बेवा रामकल्याण जी जाति काछी निवासी पंचायत भवन के सामने खेडा रसूलपुर ।
22. हेमराज
23. ओमप्रकाश पिसरान चतुर्भुज जाति काछी निवासीगण पंचायत भवन के सामने खेडा रसूलपुर ।
24. गायत्री बाई पत्नी श्री रामस्वरूप जाति काछी निवासी मेन बाजार खेडा रसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
25. चौथमल आत्मज बजरंग लाल जाति काछी निवासी पंचायत भवन के सामने खेडा रसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
26. मुकेश आत्मज श्री बजरंग लाल जाति काछी निवासी आरामपुरा नदी के पास तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
27. सोहनी बाई पुत्री बजरंग लाल जी पत्नी श्री मूलचन्द जाति काछी निवासी ग्राम सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा ।
28. कान्ती बाई पुत्री श्री बजरंगा जाति काछी निवासी तलाव गॉव तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
29. शिवनारायण आत्मज श्री हीरालाल जाति कलाल निवासी मकान नम्बर 2 ज 14 टीचर्स कोलोनी केशवपुरा, कोटा ।
30. प्रेम प्रकाश आत्मज श्री सोहन लाल जाति काछी निवासी छीपा समाज के मंदिर के सामने खेडारसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
31. बजरी बाई पत्नी श्री सोहन लाल जाति काछी निवासी छीपा समाज के मंदिर के सामने खेडारसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
32. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री तेजमल जैन, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 22.09.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.12.2016 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम खेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नम्बर 70 रकबा 1.48 हैक्टर, खसरा नम्बर 289 रकबा 0.34 हैक्टर, खसरा नम्बर 452 रकबा 0.19 हैक्टर, खसरा नम्बर 489 रकबा 3.60 हैक्टर, खसरा नम्बर 634 रकबा 0.15 हैक्टर कुल 05 किता की 5.76 हैक्टर आराजी स्थित है । इसी प्रकार ग्राम खेडा में खसरा नम्बर 488 रकबा 0.25 हैक्टर, खसरा नम्बर 507 रकबा 0.97 हैक्टर, खसरा नम्बर 511 रकबा 2.24 हैक्टर कुल 03 किता की 3.46 हैक्टर भूमि स्थित हैं । मद संख्या 02 में वर्णित आराजी में अप्रार्थी क्रम 6 से 10 का 1/8 हिस्सा, अप्रार्थी क्रम 11 से 14 का 1/2 हिस्सा, अप्रार्थी क्रम 29 का 3/16, अप्रार्थी क्रम 30 व 31 का 3/16 हिस्सा दर्ज है जो गलत है । प्रार्थना पत्र की मद संख्या 03 में वर्णित आराजी में अप्रार्थी क्रम 1 से 5 का 5/36 हिस्सा, अप्रार्थी क्रम 06 से 10 का 1/36 हिस्सा, अप्रार्थी क्रम 11 से 14 का 1/6 हिस्सा, अप्रार्थी क्रम 15 से 21 का 1/9 हिस्सा, अप्रार्थी क्रम 22 व 23 एवं अप्रार्थी क्रम 25 से 28 का 2/9 तथा अप्रार्थी क्रम 24 का 1/3 हिस्सा दर्ज है जो त्रुटिपूर्ण है । छोटी बेवा रतनलाल का स्वर्गवास हो गया है । बजरंग लाल, चतुर्भुज पिसरान भंवर लाल उर्फ कंवरिया व मांगीलाल मु0 लक्ष्मण का स्वर्गवास हो गया है जिनमें बजरंग लाल के वारिसान अप्रार्थी क्रम 25 से 28 है । चतुर्भुज के वारिसान अप्रार्थी क्रम 22 व 23 हैं तथा मांगीलाल के वारिस प्रतिवादी क्रम 24 हैं । ग्राम जालखेडा की आराजी में मृतक ग्यारसी राम के फौती इंतकाल में प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है । प्रार्थीगण ग्यारसीराम के जीवनकाल में मृत्यु को प्राप्त पुत्र गोपाल की एक मात्र पुत्री लालीबाई के वारिस व उत्तराधिकारी हैं तथा मृतक ग्यारसी राम व मृतक गोपाल की सम्पत्ति को प्राप्त करने के अधिकारी हैं । प्रार्थना पत्र की मद संख्या 02 में वर्णित आराजी हाल सेटलमेंट से पूर्व प्रार्थीगण के नाना के पिता ग्यारसया आत्मज नारायण के नाम दर्ज थी जो ग्यारसा के स्वर्गवास के बाद त्रुटिपूर्ण रूप से भंवरलाल, रामकिशन, रतनलाल के नाम दर्ज कर दी जबकि लाली बाई का भी नाम दर्ज होना चाहिए था । इसी प्रकार मद संख्या 03 में वर्णित आराजी हाल सेटलमेंट से पूर्व खसरा नम्बर 88/253 रकबा 30 बीघा 02 बिस्वा ग्यारसा, कंवरिया लक्ष्मण पिसरान नारायण के नाम दर्ज थी जो ग्यारसा के स्वर्गवास के बाद सन् 1971 में प्रार्थीगण की माता के नाम दर्ज नहीं कर भंवरलाल, रामकिशन, रतनलाल के नाम त्रुटिपूर्ण रूप से दर्ज कर दी जो शून्य है । अप्रार्थीगण ने गोपाल की पुत्री लाली बाई का नाम छुपाकर राजस्व कर्मचारियों से मिली भगत कर आराजी अपने नाम दर्ज करवा ली जबकि प्रार्थीगण ग्यारसा की सम्पत्ति में 1/4 हिस्से के अधिकारी हैं । राजस्व रिकॉर्ड

में अप्रार्थीगण का नाम होने से अप्रार्थीगण एक राय होकर प्रार्थीगण को नुकसान पहुंचाने के ध्येय से खुर्द–बुर्द करने पर आमादा हैं जिसका प्रार्थीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । अप्रार्थीगण ने मृतक ग्यारसा जी की सम्पत्ति को लेकर राजस्व न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर रखे थे जो दोनों दावे खारिज हुए । उक्त वादों में प्रार्थीगण अथवा उनकी माता लालीबाई, नाना गोपाल जी पक्षकार नहीं थे और उक्त दावे में भी अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को लाली बाई का वारिस माना है तथा लाली बाई को गोपाली जी की पुत्री होना स्वीकार किया है । प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में है । यदि अप्रार्थीगण द्वारा दौराने वाद उक्त भूमि को खुर्द–बुर्द, रहन, बेचान एवं अन्य किसी प्रकार से अन्तरण कर दिया तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी ।

3. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थी के विरूद्ध इस आशय की अस्थयी निषेधाज्ञा पारित की जावे कि ताफैसला वाद राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें, वादग्रस्त आराजी को खुर्द–बुर्द नहीं करें, भूखण्ड नहीं काटे । कृषि से अकृषि में परिवर्तन नहीं करे, निर्माण कार्य नहीं करें बेदखल नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं अप्रार्थीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 30.12.2016 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.12.2016 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रार्थीगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया है । अपीलान्ट की माता लाली बाई के पिता गोपाल थे । गोपाल जी का स्वर्गवास लाली बाई के बाल्यकाल में ही हो जाने से राजस्व कर्मचारियों ने त्रुटिपूर्ण से लाली बाई का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया जबकि लाली बाई गोपाल की पुत्री होने से एक मात्र उनकी सम्पूर्ण सम्पत्ति को प्राप्त करने की अधिकारिणी होने से राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाने के अधिकारिणी है । अधीनस्थ न्यायायल ने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में अन्य प्रकरणों में लालीबाई को गोपाल जी की पुत्री होना स्वीकार किया है । अन्य आराजी में गोपाल जी के स्थान पर लालीबाई का व लालीबाई के स्थान पर अपीलान्ट का नाम रिकॉर्ड में दर्ज किया है । उक्त तथ्य पत्रावली पर मौजूद होने के बाद भी अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । प्रथमदृष्टया प्रकरण अपीलान्टगण के पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति तीनों बिन्दु अपीलान्टगण के पक्ष में है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.12.2016 निरस्त फरमाया जाकर अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण रूप से अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है । दस्तावेजी साक्ष्य और नजीरों का अवलोकन किये बिना निर्णय पारित किया गया है । प्रार्थीगण की माता लाली बाई गोपाली की पुत्री थी । गोपाली जी का स्वर्गवास लालीबाई की बाल्यकाल में हो गया था । राजस्व कर्मचारियों से त्रुटिपूर्ण रूप से लालीबाई का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया जबकि गोपाल की पुत्री होने के नाते गोपाल जी के हिस्से की आराजी को प्राप्त करने की लालीबाई अधिकारिणी है । पक्षकारों के मध्य जो अन्य राजस्व प्रकरण चले थे उसमें लालीबाई को गोपाल जी की पुत्री होना रेस्पोडेन्टगण ने स्वीकार किया है फिर भी प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया है । प्रथमदृष्टया प्रकरण अपीलान्टगण के पक्ष में है यदि रेस्पोडेन्ट आराजी को खुर्द–बुर्द कर देते हैं तो अपीलान्ट अपूर्णीय क्षति होगी, सुविधा का संतुलन भी अपीलान्ट के पक्ष में है । नारायण के पुत्र ग्यारसा हुए और ग्यारसा के पुत्र गोपाल, रतन, रामकिशन और भंवर लाल । भंवर लाल गोद चले गये थे । लाली बाई गोपाल जी की पुत्री है । ग्राम जालखेडा की आराजी ग्यारसा के फौती इंतकाल से प्रार्थीगण के नाम दर्ज हो गई है और वादग्रस्त आराजी दर्ज होने से रह गयी है । अपीलान्ट ने आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ जो दस्तावेजात पेश किये है उनसे यह प्रमाणित है कि रेस्पोडेन्टगण लाली बाई को गोपाल जी की पुत्री मानते हैं । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.12.2016 निरस्त फरमाया जावे। उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरडी 1993 पेज 206 उद्धरत की ।

9. अपीलान्ट ने अपील में एक प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का कथन किया ।

10. हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया । संलग्न दस्तावेजात में धापू बाई के बयान प्रकरण संख्या 13/16 की प्रमाणित प्रति, महावीर पुत्र रतन के इसी प्रकरण में बयानों की प्रमाणित प्रति, न्यायालय सहायक कलक्टर कोटा के आदेशिका प्रकरण संख्या 42/98 की प्रमाणित प्रतियॉ, न्यायालय सहायक कलक्टर कोटा में पेश किये गये दावा संख्या 46/98 की प्रमाणि प्रतियॉ, न्यायालय सहायक कलक्टर पेश किये गये प्रार्थना पत्र दिनांक 28.08.2001 की प्रमाणित प्रतियॉ, उपखण्ड अधिकारी कोटा के प्रकरण संख्या 44/64 की आदेशिका की प्रमाणित प्रतियॉ, न्यायालय सहायक कलक्टर कोटा के प्रकरण राधा बनाम कंवरिया के तनकीयात का पर्चा, उपखण्ड अधिकारी कोटा की आदेशिका की प्रमाणित प्रतियॉ, उपखण्ड अधिकारी कोटा में पेश किये गये दावे एवं जवाबदावे की प्रमाणित प्रति पेश की हैं । पेश किये गये दस्तावेजात न्यायालय की आदेशिका की प्रमाणित प्रतियॉ हैं व प्रकरण से सम्बन्धित हैं । उक्त दस्तावेजात राजकीय दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतियॉ हैं जिनकी विश्वसनीयता पर किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

11. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार रेस्पोडेन्ट हैं । रेस्पोडेन्ट के द्वारा वादग्रस्त आराजी को खुर्द–बुर्द नहीं किया जा रहा है। रिकॉर्डेड खातेदार के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती । प्रार्थीगण का

प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रमाणित नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.12.2016 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरटी 2016 (2) पेज 1323 उद्वरत की ।

12. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अपीलान्टगण का यह कथन है कि वो लाली बाई के वारिस होने के नात वादग्रस्त आराजी में सहखातेदार होने के अधिकारी हैं । उनके द्वारा परिवार का जो शजरा पेश किया गया है उसके अनुसार ग्यारसा का पुत्र गोपाल था एवं गोपाल जी की पुत्री लाली बाई थी। धापू बाई के बयान की प्रमाणित प्रति जो कि पत्रावली में प्रकरण संख्या 13/16 के पेश किये गये हैं उसमें यह कहा गया है कि यह बात गलत है कि लाली बाई गोपाल की पुत्री नहीं है । इस प्रकार इस प्रकरण में महावीर के जो बयान हैं उसमें यह कहा गया है कि गोपाल जी की पत्नी का नाम दाखा था । लाली की मॉ का नाम दाखा था । दाखा बाई गोपाली जी की पत्नी है । उपखण्ड अधिकारी कोटा में पेश किये गये दावे में कंवरिया पुत्र नारायण और मांगी पुत्र लक्ष्मण ने जो जवाबदावा पेश किया है उसकी मद संख्या 06 में यह अंकित किया गया है कि गोपाल ग्यारसा की जिन्दगी में नाबालिग लडकी लालीबाई और दाखां बाई छोडकर मर गया । इस प्रकार पत्रावली पर जो दस्तावेजात पेश किये गये हैं उससे प्रथमदृष्टया प्रमाणित होता है कि लाली बाई गोपाल जी की पुत्री थी । यद्यपि पक्षकारों के अधिकार एवं स्वत्व मूल दावे में साक्ष्य के दौरान तय होगें इस स्टेज पर नहीं परन्तु इस स्टेज पर वादग्रस्त आराजी में लाली के वारिस होने के नात प्रार्थीगण का प्रथमदृष्टया हित–निहित होना पाया जाता है । तद्नुसार सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति भी उनके पक्ष में है । ऐसी स्थिति में हम रेस्पोडेन्टगण को वादग्रस्त आराजी में अपीलान्टगण के प्रथमदृष्टया 1/4 हिस्से की सीमा तक ताफैसला वाद आराजी को खुर्द–बुर्द नहीं करने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित समझते हैं । आरआरडी 1993 पेज 206 यहॉ चस्पा होती है ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.12.2016 निरस्त किया जाता है । रेस्पोडेन्टगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे ताफैसला वाद ग्राम खेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा की खसरा नम्बर 70 रकबा 1.48 हैक्टर, खसरा नम्बर 289 रकबा 0.34 हैक्टर, खसरा नम्बर 452 रकबा 0.19 हैक्टर, खसरा नम्बर 489 रकबा 3.60 हैक्टर, खसरा नम्बर 634 रकबा 0.15 हैक्टर कुल 05 किता की 5.76 हैक्टर आराजी व ग्राम खेडा की खसरा नम्बर 488 रकबा 0.25 हैक्टर, खसरा नम्बर 507 रकबा 0.97 हैक्टर, खसरा नम्बर 511 रकबा 2.24 हैक्टर कुल 03 किता की 3.46 हैक्टर वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी अपीलान्टगण के प्रथमदृष्टया हिस्से 1/4 की सीमा तक आराजी को खुर्द–बुर्द एवं बेचान नहीं करें ।

14. निर्णय आज दिनांक 22.09.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

22/9/20

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा